

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं० 12/2022-23

कं० सं०	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
25.4.23	अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री/श्रीमति अरबिंद कुमार चौधरी, पिता/पति विजय प्रसाद चौधरी, ग्राम+थाना बसिया जिला गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए मॉ० 1178207:00 रुपये बकाय प्रतिवेदित किया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार श्री/ अरबिंद कुमार चौधरी, पिता/ विजय प्रसाद चौधरी ग्राम+थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी पत्र प्राप्त है। अतः बैंक ऑफ इंडिया भागीडेरा से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरुद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित।  25.4.23 अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	